म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0
ब्लाक नं01, तृतीय तल, पर्यावास भवन
जेल रोड भोपाल पिन 462011

क्रमांक/स्थापना-1/20433/ 2021/ 1020 भोपाल दिनांक 29/10/2021

आदेश

श्री तेज सिंह थापा पुत्र स्वर्गीय श्री दिल बहादुर थापा को कार्पोरेशन में कनिष्ठ सहायक के पद पर सातवे वेतनमान लेवल 4 रूपये 19500 में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थाई रूप से शासन द्वारा जारी निर्देश क्रमांक/सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 के अनुक्रम में 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्न शर्तों अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती है :-

1. दिनांक 27.11.2021 तक कार्पोरेशन मुख्यालय में उपस्थिति होना सुनिश्चित करें, अन्यथा सबंधित कर्मी का नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा ।
2. परिवीक्षा अवधि में उक्त पद के वेतनमान के प्राप्ति योग्य राशि न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में पूर्ण वेतन दिया जावेगा।
3. उपस्थिति के समय निम्न दस्तावेज साथ में लाना अनिवार्य है:-

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- आय प्रमाण-पत्र
- अनुबंध एवं शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप में)
- जिला मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र
- सेवा- पुस्तिका / पासपोर्ट साईज फोटो
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र / अंक सूची

उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उपस्थिति स्वीकार नहीं की जावेगी |

4. सेंवा में उपस्थिति उपरान्त पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत करना होगा।
5. इनकी सेवाएं एक माह की सूचना या एक माह का वेतन देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार निगम को एक माह की सूचना या एवज में एक माह का वेतन देकर वह सेवा छोड़ सकेंगे।
6. इनकी सेवाएं उन सभी शर्तो के अधीन होंगी, जो समय-समय पर कारपोरेशन कर्मियों पर हेतु लागू की जायेंगी।
7. इन्हें निगम द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतन एवं उस पर देय महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते ने की पात्रता होगी।
8. वे उन्हें सौंपे गये कार्य को अनुशासनबद्ध होकर पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से करेंगे तथा उन्हें बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के राज्य या उसके बाहर दिन या रात कभी भी किसी भी काम में लगाया जा सकेगा।
9. वे अपने व्यवहार में विनम्रता एवं भद्रता प्रदर्शित करेंगे।

10. वे ऐसा कोई कार्य या आचरण नहीं करेंगे, जिससे निगम के व्यावसायिक हितों या ख्याति को क्षति पहंचे।
11. वे निगम के कार्यो एवं नीतियों की किसी प्रकार या किसी माध्यम से आलोचना नहीं करेंगे।
12. वे निगम के कार्य एवं व्यवसाय से संबंधित कोई जानकारी या अभिलेख किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे, जो उसे प्राप्त करने के लिये अधिकृत न हो।
13. कार्य व्यवहार एवं आचरण के सबंध में म0प्र0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
14. यदि शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र, जन्म–तिथि प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र के बारे में दी गई जानकारी गलत पाई गई अथवा नियुक्ति के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि सबधित व्यक्ति शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है, तो उसे दी गई अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी साथ ही अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। ।
15. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी 3-8/2013/1/3 दिनांक 01/07/2013 में उल्लेखानुसार संस्थाओं से एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा / सार्टिफिकेट तथा आदेश क्रमांक सी 3-15/2014 अनुसार CPCT की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा । इस हेतु नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष का समय दिया जावेगा । निर्धारित समयावधि में उक्त दोनों परीक्षा उत्तीर्ण न करने की स्थिति में आपकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। जो आवेदक पूर्व से उक्त दोनो अर्हतांए धारित करते है,उन्हें यह अनिवार्य नहीं है ।

TKP
(तरूण कुमार पिथोडे)
प्रबंध संचालक
भोपाल दिनांक 29/10/2021

क्रमांक/स्थापना-1/ 20433/ 2021/ 1020-A
प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, मुख्यालय भोपाल।
2. स्टॉफ ऑफीसर, प्रबंध संचालक, मुख्यालय भोपाल।
3. महाप्रबंधक(समस्त), मुख्यालय भोपाल।
4. कार्यपालन संचालक(वित्त), मुख्यालय भोपाल।
5. अतिरिक्त महाप्रबंधक (समस्त), मुख्यालय भोपाल।
6. उप महाप्रबंधक(वित्त–लेखा स्थापना), मुख्यालय भोपाल।
7. कुमारी/श्री..
   ....

TKP
प्रबंध संचालक